न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00039

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

सादुराम पुत्र गुलाकीराम जाति बाजीगर निवासी सुखचैनपुरा तहः विजयनगर

.....प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
3 श्री इदरीश अहमद कुरैशी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः दिनांकः– 18.01.2023

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 में कुल 03.00 बीघा भूमि सादुराम पुत्र गुलाकीराम जाति बाजीगर निवासी सुखचैनपुरा तहः विजयनगर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रकबे के किला नं0 7,9,10 के रकबा 03.00 बीघा में खातेदार द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता इदरीश अहमद कुरैशी ने प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया है। मौका पर प्रतिवादी की उक्त भूमि समतल व काश्त योग्य है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है। उक्त वादपत्र मनगढ़त व काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए वादी को किसीप्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए वादी द्वारा निराधार व तथ्यहीन आधारो पर प्रस्तुत वाद खारिज योग्य हैं।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/122 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 की 03.00 बीघा भूमि साधुराम पुत्र बुलाकीराम जाति बाजीगर निवासी सुखचैनपुरा तहः विजयनगर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार मु0नं0 100/17 के किला नं0 7 में सरसों की काश्त व किला नं0 9,10 में अवैध खनन के खड्डे मौजुद है। उक्त खनन पूर्व में किया गया था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।
.....जिम्मे वादी
2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।
.....जिम्मे प्रतिवादीया

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादिया द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 5.1.15 व तहसीलदार रिपोर्ट 3.3.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 3.3. 2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। तहसीलदार पटवरी प्रत्येक रिपोर्ट में लिखा है अवैध खनन के खड्डे मौजुद है, इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में

प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है उक्त रकबे की गिरदावरी तक साथ संलग्न नहीं की। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 7,9,10 भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 5.1.15, 3.3.2020 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में उक्त भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/17 के किला नं0 7,9,10 की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)